

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची - 834001

विज्ञापन

1. ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि-31.01.2023
2. Offline आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि-10.02.2023

विज्ञापन संख्या-15/2022

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक-11(12) दिनांक-18.02.2022 के द्वारा राँची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (रिनपास) में सहायक प्राध्यापक (साइक्याट्रीक सोशल वर्क) के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, जो आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

क्र० सं०	पद का नाम	कुल पद	कोटिवार रिक्तियाँ						क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण				
			अनारक्षित	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०पि०व० (अनु०-I)	पि०व० (अनु०-II)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	महिला	खेल कूद	दिव्यांग		
											दृष्टि निःशक्त (क)	श्रवण निःशक्त (ख)	बलन निःशक्त (ग)
1	सहायक प्राध्यापक (साइक्याट्रीक सोशल वर्क)	03	01	01	00	01	00	00	00	00	00	00	00

नोट:- कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

- पद समूह - Ka (क)
- वेतनमान - level-11. P.B. III 15600-39100. GP-6600/-
- पद - स्थायी
- परीक्ष्यमान अवधि - 2 (दो) वर्ष
- अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव :-

क्र० सं०	पद	शैक्षणिक अर्हता	अनुभव
1	साइक्याट्रीक सोशल वर्क	University Grant Commission से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय/संस्थान से Social Work with Medical & Psychiatric Social Work as One Paper/सोशियोलॉजी में कम-से-कम द्वितीय श्रेणी में एम०ए०/एम०एस०डब्ल्यू० डिग्री तथा (ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से साइक्याट्रीक सोशल वर्क में पी०एच०डी०/डी०एस०सी० (Doctor of Philosophy/Doctor in Science) डिग्री।	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से पी०एच०डी०/डी०एस०सी० डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त 03 वर्ष का संबंधित विषय में शिक्षण एवं शोध का अनुभव तथा Indexed/National Journals में दो पत्र का प्रकाशन।

7. उम्र सीमा :-

- (a) न्यूनतम उम्र सीमा :- 30 वर्ष।
 (b) अधिकतम उम्र सीमा :- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के अधियाचना, नियुक्ति नियमावली एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड अधिसूचना सं०- 29 दिनांक 04.01.2021 के अनुसार :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1.	अनारक्षित	45 वर्ष	55 वर्ष
2.	पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा	47 वर्ष	57 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा)	48 वर्ष	58 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	50 वर्ष	60 वर्ष

नोट:- (i) झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों के लिए उम्र सीमा का बंधेज नहीं होगा।

(ii) उम्र की गणना 01.01.2022 के आधार पर की जायेगी।

(iii) सेवानिवृति की उम्र - 62 वर्ष

8. चयन की प्रक्रिया :- झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के द्वारा आयोजित साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। आयोजित साक्षात्कार में सभी वर्गों के उम्मीदवारों को सफल होने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, की अधिसूचना संख्या-83 (12) दिनांक-06.08.2020 द्वारा अधिसूचित सम्वर्ग नियमावली के अनुसूची 3(4)-iii(b) में अंकित कुल पूर्णांक 100 में न्यूनतम 50 अंक लाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का मूल्यांकन उक्त नियमावली के अनुसूची 3(घ) के अनुसार निम्नरूपेण किया जायेगा :-

Examination	Maximum Weightage	Table
Matriculation	10	I
Intermediate	10	II
Graduation	18	III
Post Graduate	22	IV
Ph.D/NET/JET	15	V
Post Ph.D Research/Teaching Experience	05	VI
Publications	05	VII
Interview	15	
Total	100	

Note: Conversion of Grade Points to percentage equivalent will be carried out as per the Conversion formula laid down by down by the University concerned. However, where the Universities have not laid down the Conversion formula the determination of marks for the academic merit and weightage shall be established on the basis of Schedule I to IV.

9. आरक्षण का लाभ :- जाति प्रमाण-पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

(a) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति:- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1361 दिनांक-03.03.2022 एवं पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-IV (4) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त /अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

नोट:- (क) केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत पत्र ज्ञापांक-4258, दिनांक-30.05.2019 में दिये गये निर्देश के आलोक में पूर्व सक्षम प्राधिकार यथा अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे।

(b) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :- झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-11 (XI) (क्रीमीलेयर रहित) में प्रमाण पत्र साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय तक झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

नोट:- (क) राज्य सरकार के सेवाओं /पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form-11 Required अंकित हो तो Form-11 (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

(ख) Non-Creamy Layer से संबंधित प्रमाण पत्र 2022 के पूर्व का हो तो उसके साथ Form-xv (स्वघोषणा पत्र) अवश्य संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

(ग) केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।

(घ) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत पत्र ज्ञापांक-4258, दिनांक-30.05.2019 में दिये गये निर्देश के आलोक में पूर्व सक्षम प्राधिकार यथा अनुमंडल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे

(c) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में आरक्षण कोटि से संबंधित किये गये दावे में, नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच सुधार/बदलाव नहीं किया जा सकता है।

(d) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

10. (क) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम :-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ख) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ग) पूर्व के कदाचार का प्रभाव :-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. परीक्षा शुल्क :-

- (a) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (b) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू०-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (c) परीक्षा शुल्क में छूट- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति सहित/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू०-150/-(एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (d) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट अनुमान्य है।

12. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (a) Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।
- (b) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (c) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (d) ऑनलाईन आवेदन में अंकित **e-mail Id, Mobile Number** तथा प्राप्त **User Id एवं Password** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत **Mobile Number, e-mail Id** अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number, e-mail Id** अंकित नहीं करेंगे।
- (e) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान **Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure** के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (f) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **“Download Filled Application Section”** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।
- (g) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
- (h) **Online Application** में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी **Online Application** भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार **Online Application** में की गयी प्रविष्टि (**Entry**) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (i) ऑनलाईन (**Online**) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व **“How to apply”** (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.-+919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (j) ऑनलाईन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है:- 1. +919431301636 2. +919431301419
- (k) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.- 9431301419 पर संपर्क किया जा सकता है।
- (l) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी **Online Application** में प्रविष्ट करेंगे अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदक Applied for NOC संबंधी सूचना ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्टि करेंगे तथा समर्पित आवेदन की मूल प्रति Document Verification के समय प्रस्तुत करेंगे।

- (m) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (n) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (o) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
- (p) जन्म तिथि-आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरें।
- (q) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति कडिका-12(r) के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित पठनीय प्रति आयोग कार्यालय के पते "परीक्षा नियंत्रक-I, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" पर निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। Hard Copy लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या-15/2022 तथा पद का नाम मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- (r) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :-
- (i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
- (ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र की छायाप्रति।
- (iii) University Grant Commission से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालय/संस्थान से Social Work with Medical & Psychiatric Social Work as One Paper/सोशियोलॉजी में कम-से-कम द्वितीय श्रेणी में एम0ए0/एम0एस0डब्ल्यू0 डिग्री तथा
- (b) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से साईक्याट्रीक सोशल वर्क में पी0एच0डी0/डी0एस0सी0 (Doctor of Philosophy/Doctor in Science) डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
- (iv) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से पी0एच0डी0 डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त 03 वर्ष का संबंधित विषय में शिक्षण एवं शोध का अनुभव तथा Indexed/National Journals में दो पत्र का प्रकाशन से संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- (v) जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- (vi) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
- (vii) अनापत्ति प्रमाण पत्र/Applied for NOC संबंधी आवेदन (जहाँ लागू हो)।
- (viii) सभी प्रमाण पत्र आवेदन भरने के अंतिम तिथि के पूर्व निर्गत होना चाहिए।
- (s) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कडिका-(r) के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

13. अंतिम तिथि :-

- (a) आवेदक **Online Application System** के माध्यम से दिनांक-11.01.2023 से दिनांक-31.01.2023 अपराह्न-5.00 बजे तक ही **Online** आवेदन कर सकते हैं।
- (b) दिनांक-31.01.2023 के बाद दिनांक-03.02.2023 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (c) आवेदक आवेदन एवं वांछित प्रमाण पत्रों की हार्ड कॉपी हाथों-हाथ/निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आयोग कार्यालय में दिनांक-10.02.2023 तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (d) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।